संख्या-36/2026/49-3099/90/2023/
(I/1490772/2026)

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषय: प्रदेश के कृषकों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत रूपये 10.00 लाख तक की कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर अनुमन्य ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु माह जून, जुलाई तथा माह अगस्त, 2026 से सम्बन्धित आंकलित ब्याज क्लेम की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/705488/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 28.07.2026, पत्र संख्या- I/763466/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 02.09.2026 एवं पत्र संख्या- I/799838/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 23.09.2026 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में "उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति" योजनान्तर्गत जिला सहकारी बैंकों से बी0 पैक्स को स्वीकृत रूपये 10.00 लाख तक की कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर क्रमश: माह **जून, 2026** से संबंधित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की धनराशि रूपये रूपये 3,02,24,896.00 (रूपये तीन करोड़ दो लाख चौबीस हजार आठ सौ छियानबे मात्र), माह जुलाई**, 2026** से संबंधित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की कुल धनराशि रूपये 3,75,99,620.00 (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख निन्यानबे हजार छ: सौ बीस मात्र) तथा माह अगस्त**, 2026** से संबंधित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रूपये 3,70,40,951.00 (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 10,48,65,467.00 (रूपये दस करोड़ अड़तालिस लाख पैसठ हजार चार सौ सड़सठ मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन राजस्व मद में मुख्य लेखाशीर्ष - "2425- सहकारिता, 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 04- उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) " में प्राविधानित धनराशि रूपये 5500.00 लाख के सापेक्ष माह **जून, 2026** से संबंधित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की धनराशि रूपये रूपये 3,02,24,896.00 (रूपये तीन करोड़ दो लाख चौबीस हजार आठ सौ छियानबे मात्र), माह जुलाई**, 2026** से संबंधित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की कुल धनराशि रूपये 3,75,99,620.00 (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख निन्यानबे हजार छः सौ बीस मात्र) तथा माह अगस्त**, 2026** से संबंधित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की धनराशि रूपये 3,70,40,951.00 (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) अर्थात् कुल धनराशि **रूपये 10,48,65,467.00 (रूपये दस करोड़ अड़तालिस लाख पैसठ हजार चार सौ सड़सठ मात्र)** की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अधोलिखति शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम/ शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
(8) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(10) वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये **रूपये 10,48,65,467.00(रूपये दस करोड़ अड़तालिस लाख पैसठ हजार चार सौ सड़सठ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 2425001080400 उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-2-158-X-2026-27 दिनांक: 5-10-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग, उ0प्र0।
4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6) साईबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग), सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8) वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10) आहरण- वितरण अधिकारी, मुख्यालय, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
12) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।